IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानकः पथप्रदर्शकः
Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्रांक 485 /निविदा सम्बन्धी/2017 दिनांक- 19.02.2024

कार्यालय ज्ञाप

आवास आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश सं0-281/डब्लू-19 दिनांक 25.01.2007 द्वारा निविदाओं के औचित्य के सम्बन्ध मे प्रस्तर-3.5.2.1 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है:-

3.5.2.1 "Tender recommending Committee will not only examine the tenders with respect to justified market rates, but shall also compare the tendered rates with the rates accepted for similar works in the past."

शासनादेश संख्या-3/2019/2173/तेईस-7-2018-111(सा0)/2017 लोक निर्माण अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2019 द्वारा दरों के निगोसिएशन के सम्बन्ध मे दिशा-निर्देश निर्गत है, जिसकी प्रति अभियंत्रण अनुभाग, मुख्यालय के पत्र सं0-889/निविदा दिनांक 05.03.2019 द्वारा समस्त वृत्तों/ खण्डों को प्रेषित करते हुए तत्सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये है:-

(1) समान्यतः किसी भी निविदादाता से कोई भी निगोशिएशन न किये जाय एवं यदि अधिक दरें प्राप्त होती है तो पुनः निविदा आमंत्रित की जाय।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों मे यातायात की सुरक्षा हेतु मरम्मत या अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन हेतु निर्माण कार्य इत्यादि मे केवल प्रथम निविदादाता से निगोसिएशन किया जाये।

(3) किसी भी परिस्थिति मे प्रथम न्यूनतम निविदादाता को छोड़कर किसी भी निविदादाता से किसी भी प्रकार का निगोसिएशन न किये जाये।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा हैं। न्यूनतम निविदादाता द्वारा निगोसिएशन मे दरें, कम करने से मना करने के उपरान्त भी, पुनः निगोसिएशन करके दरें कम करायी जाती हैं। कतिपय प्रकरणों मे यह भी देखा गया है कि न्यूनतम निविदादाता द्वारा अपनी निविदा मे दी गयी मूल दरों को, निगोसिएशन के उपरान्त, काफी कम किया जाता है। इससे यह स्वतः स्पष्ट होता है कि निविदा मे मूल दरें, प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्त नहीं हुई थीं।

अतः एतदद्वारा आदेश दिये जाते है कि तत्सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

DSingh
19/2/2024

(डी0वी0 सिंह)

मुख्य अभियन्ता

dc singh

पृष्ठ संख्या 485 /उक्त/ दिनांक 19.02.2024

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को परिषद वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

DSingh
19/2/2024

मुख्य अभियन्ता

dc singh